BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st August 2017 | No. 8

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

व्यवसायियों की समस्याओं का मिलकर करेंगे समाधान : उप-मुख्यमंत्री

जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन अफसरों का दखल होगा कम

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। दायीं ओर क्रमशः मुख्य आयुक्त, सी०जी०एस०टी० श्री शिव नारायण सिंह, आयुक्त कस्टम पटना श्री वी० सी० गुप्ता एवं अन्य।

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 15 अगस्त, 2017 को पूर्वाहन् 11 बजे उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 71वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद उत्पन्न समस्याओं का समाधान व्यापारी, व्यापारी संगठन और सरकार मिलकर करेगी। जब भी देश और राज्य में कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो शुरुआत में समस्या आती है। लेकिन, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में कारोबारियों की सहूलियत को ध्यान में रखा गया है। अधिकतर काम ऑनलाइन है, इसलिए अधिकारियों की दखलअंदाजी नहीं के बराबर होगी। वह बुधवार 2 अगस्त 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में जीएसटी को लेकर राज्य के व्यवसायियों की समस्या को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी के भुगतान की जानकारी देने के लिए विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। प्रखंड स्तर पर सुविधा केन्द्रों में जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर प्रशिक्षित व्यक्तियों के रखने पर विचार किया जाएगा। राज्य के व्यवसायियों की समस्याओं को जानने के लिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जाएंगे और वहाँ ओपन हाउस बैठक में शामिल होंगे। इसके पहले वाणिज्य-कर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने जीएसटी को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने की। बैठक में बिहार-झारखण्ड और यूपी के मुख्य सीजीएसटी कमिश्नर एसएन सिंह, कमिश्नर रंजित कुमार, कस्टम कलक्टर वीसी गुप्ता और अपर सचिव वाणिज्य कर अरुण मिश्रा, बीआईए के प्रेसिडेंट रामलाल खेतान सहित बिहार के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

यह सर्वविदित है कि हमारा बिहार इस बार फिर भंयकर बाढ़ की विभीषिका का कोपभाजन बना है। इस बार विगत् वर्षों की अपेक्षा ज्यादा प्रलंयकारी बाढ़ आई है और सर्वाधिक नागरिकों एवं मवेशियों को जान गंवानी पड़ी है। फसलों एवं अन्य सामानों की काफी बर्बादी भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्वंय बाढ़ राहत कार्यों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

प्राकृतिक आपदा के समय चैम्बर हमेशा बढ़-चढ़कर पीड़ितों हेतु सहायता कार्य आप सदस्यों के सहयोग से करता आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों का सहयोग पूर्ववत प्राप्त होगा तथा बाढ़ राहत हेतु चैम्बर द्वारा किये गये अपील पर आपका भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार के नाम में अपनी सहयोग राशि का चेक भेजने की कृपा करें।

यह हर्ष का विषय है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में अपना बिहार सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है और अन्य राज्यों ने इसे मॉडल के रूप में अपनाया है।

यह भी हर्ष का विषय है कि नीति आयोग द्वारा बेहतरीन कारोबारी माहौल पर जारी रिपोर्ट में बिहार राज्य सबसे ज्यादा युवा उद्यम वाला राज्य घोषित हुआ है, इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तराखण्ड तथा तृतीय स्थान पर पंजाब एवं चौथे पर सिक्किम है ।

यह भी बड़े हर्ष की बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नव गठित सरकार के माननीय उप मुख्य मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी जो वित एवं वाणिज्य-कर मंत्री भी है ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम दिनांक 2 अगस्त, 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पधारने की कृपा की और सदस्यों से उद्योग, व्यापार तथा GST में आ रही कठिनाईयों पर विस्तार से चर्चा की तथा हर सम्भव निदान का आश्वासन दिया।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

बैठक में सदस्यों से जीएसटी सम्बन्धी समस्याओं पर जानकारी लेते माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी। उनकी दायीं ओर क्रमशः वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी एवं जीएसटी उप-समिति के सह संयोजक श्री आलोक कुमार पोद्दार एवं अन्य।

बैठक को सम्बोधित करते माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी। उनकी बायीं ओर क्रमशः मुख्य आयुक्त सीजीएसटी, पटना श्री शिव नारायण सिंह, आयुक्त कस्टम श्री बी० सी० गुप्ता, आयुक्त सीजीएसटी, पटना श्री नीतीन आनन्द, आयुक्त सीजीएसटी श्री रंजीत कुमार, वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त वाणिज्य -कर श्री मार्कण्डेय ओझा एवं अन्य।

मुनाफाखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई

सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं देने वाले मुनाफाखोर व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीएसटी में कर की दरें अधिक हो गई हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश वस्तुओं पर कर कम की गई है। लेकिन, इसका फायदा आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए एंटी प्रोफेटिंग कानून बनाया गया है। वह 5 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य के कारोबारियों की समस्याओं को रखेंगे। व्यवसायियों को सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में उपभोक्ताओं को बताना चाहिए।

(साभार : दैनिक भास्कर, 3.8.2017)

जीएसटी विवरणी की प्रक्रिया से अवगत हुए व्यवसायी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में आयोजित परिचर्चा में विशेषज्ञों ने दी जानकारी

जीएसटी कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उनकी बाँयीं ओर वाणिज्य-कर विभाग के अपर आयुक्त श्री संजय कुमार मावंडिया, संयुक्त आयुक्त श्री अशोक कुमार झा। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

वाणिज्य कर विभाग ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर ओपेन हाउस परिचर्चा का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया जिसमें जीएसटी के विशेषज्ञों द्वारा राज्य के व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से जीएसटी की मासिक विवरणी दाखिल करने में व्यावसायियों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को सुनकर उसका समाधान बताया। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आज के इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के तहत व्यावसायियों को मासिक विवरणी भरने की प्रक्रिया से अवगत कराना है। । जुलाई से लागू जीएसटी के तहत विवरणी भरने की आज अंतिम तिथि थी। इसलिए यह परिचर्चा आयोजित की गई है। परिचर्चा में अधिकांश प्रतिनिधियों ने प्रश्न-उत्तर सत्र के दौरान जीएसटी आर - 3बी, रेडीमेड गार्मेन्ट्स के पुराने स्टॉक में रखे माल, टेक्सटाइल के स्टॉक में डेड लाइन, दवा में ट्रांजिशनल प्रावधानों, माल के निर्यात एवं अन्य समस्याओं से वाणिज्य कर विभाग को अवगत कराया जिसका विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया। परिचर्चा में वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव संजय मावंडिया, संयुक्त आयुक्त अशोक कुमार झा, मोहनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, शंकर कुमार मिश्रा एवं अन्य वरीय पदाधिकारी थे। साथ ही उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर, महामंत्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, रेडीमेड गार्मेन्ट एसोसिएशन, खेतान मार्केट ऑनर्स एसोसिएशन, पाटलिपुत्रा सर्राफा संघ, पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 26.8.2017)

सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं युवा – प्रधान सचिव

चैम्बर की कौशल विकास योजना की मेहंदी कला में माहिर 128 युवतियों को प्रधान सचिव ने दिये प्रमाण प्रत्र

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के तत्वावधान में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेंहदी कला का प्रशिक्षण प्राप्त 128 महिलाओं को श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर श्री सिंह ने महिलाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से चैम्बर द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। चैम्बर द्वारा ब्यूटीशियन कोर्स प्रारम्भ करने के प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग चैम्बर के इस प्रयास में सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी युवाओं एवं युवतियों के कौशल विकास की कई योजनाएँ चला रही है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे कुशल युवा कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि 15 से 25 वर्ष के ऐसे युवक एवं युवतियां जो दसवीं पास हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम है जिसका ऑन लाईन पंजीकरण होता है। उन्होंने राज्य सरकार के इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए कहा। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि चैम्बर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत वर्ष 2014 से सिलाई-कढ़ाई एवं कम्प्यूटर का नि:शुल्क प्रशिक्षण महिलाओं को दे रहा है। इसी योजना के तहत मेहन्दी कला का भी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मेहन्दी कला का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य युवा पीढ़ी में भारत की प्राचीन परम्पराओं के प्रति रूझान पैदा करना है। त्योहारों एवं वैवाहिक अवसरों पर मेहन्दी कला में प्रशिक्षित महिलाओं की काफी मांग होती है। इससे एक ओर सहजता से मेहन्दी कला की प्रशिक्षित युवतियाँ उपलब्ध होंगी तो दूसरी ओर इस कला के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी बनेंगी।

इस अवसर पर मेहन्दी कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रियंका कुमारी को प्रथम, मेहन्दी सागर को द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रिति को दिया गया। कार्यक्रम में चैम्बर के उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर एवं मुकेश

मंचासीन (बायें से दायें) चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन। प्राप्त मेमेन्टों के साथ मेंहदी कला में श्रेष्ठ आने वाली महिलाएं एवं अन्य।

मेंहदी कला में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला को चैम्बर का मेमेन्टों प्रदान करते श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ।

मेंहदी कला प्रशिक्षित महिला को प्रमाण-पत्र प्रदान करते श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं समन्वयक श्रीमती गीता जैन।

अपनी मेंहदी कला को प्रदर्शित करती प्रशिक्षु महिलाएँ। साथ में श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह । चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री शशि मोहन, पशुपति नाथ पाण्डेय, सच्चिदानन्द, सावल राम ढोलिया, संतोष कुमार, सत्य प्रकाश, अशोक कुमार एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा आधार महिला स्वाबलम्बी सहकारी समिति की डॉ. गीता जैन एवं एमपी जैन समेत बड़ी संख्या में मेहन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं युवतियों ने भी भाग लिया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.8.2017)

नई सरकार से उद्योग जगत को लगी हैं कई उम्मीदें, राज्य सरकार की गतिशीलता पर सब कुछ है निर्भर

27 साल बाद केन्द्र और राज्य सरकार एक राह पर हैं। इसका फायदा राज्य सरकार को मिलना तय है। लेकिन अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए कारगर रणनीति भी बनानी होगी। खास कर राज्य सरकार को वैसी परियोजनाओं में दिलचस्पी दिखानी होगी जो अल्प अवधि की हैं। उद्योग जगत की राय में विभिन्न क्षेत्रों का आकलन कर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा।

आगे बढ़ेंगी पूर्व की परियोजनाएं : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी। अब यह जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। पूर्व की रेल, सड़क, बिजली सहित अन्य क्षेत्र की परियोजनाएँ आगे बढ़ेंगी। यह तय है। उद्योग-व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों को तवज्जो दिया जाए तो रोजी-रोजगार भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण यह कि औद्योगिक भूमि की कमी का निदान करना होगा। 2016 की उद्योग नीति का आकलन कर अगर जरूरत हो तो इसमें इसमें संशोधन करना होगा। एग्रो बेस्ड और फूड प्रोजेक्ट पॉलिसी को कुछ बदलाव के साथ लागू करना चाहिए।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.8.2017)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया हरित बिहार का संकल्प

वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री शिव कुमार पोद्दार, श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल की अगुवाई में सोमवार दिनांक 07 अगस्त 2017 को चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने वृक्ष रक्षा दिवस पर वृक्षों की रक्षा करने, अधिक से अधिक पौधे लगाने और हरित बिहार बनाने का संकल्प लिया। एस० के० नगर पार्क में वृक्षों को रक्षा सूत्र बधिने के बाद अग्रवाल ने कहा कि आने वाले पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण देना हमारा मकसद है। उन्होंने सभी से घर, व्यवसायिक संस्थान सहित जो भी भूमि खाली हो उसमें पेड़ लगाने की अपील की। मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर सहित मुकेश कुमार जैन, विशाल टेकरीवाल, ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, पशुपति नाथ पाण्डेय, जी. पी. सिंह, शिव कुमार पोद्दार अमित मुखर्जी, सावल राम डोलिया सहित काफी सदस्य उपस्थित थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.8.2017)

GST hits sales, trade captains say nothing to worry

Bihar Chamber of Commerce and Industries P. K. Agrawal said that the decision to implement GST is good. There is no need for apprehension. The realisation about the benefits of the system will lead to faster adoption and normalisation of trade and business cycleeven in remote corners of the state, he claimed.

(Source : Hindustan Times 8.8.2017)

जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ायी जाये

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जीएसटी के कम्पोजिशन स्कीम को अपनाने की अंतिम तिथि एवं मासिक रिटर्न 3 की अंतिम तिथि को उत्तर बिहार में आयी प्रलयंकारी बाढ़ के कारण अस्त-व्यस्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक माह तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। चैम्बर अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने बताया कि देश भर में लागू जीएसटी के कम्पोजिशन स्कीम में आवेदन के लिए 16 अगस्त को आखरी तारीख निर्धारित की गयी थी एवं । जुलाई से लागू जीएसटी की मासिक रिटर्न 3 भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित है। इसी बीच नॉर्थ बिहार के साथ-साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम आदि स्थानों में आयी प्रलयंकारी बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों के लोगों का जीवन-यापन एवं व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी है। साथ ही बिजली एवं इनटरनेट सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गयी है। कम्पोजिशन स्कीम के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन करना एवं माह जुलाई की मासिक विवरणी ससमय भरना संभव नहीं है। चैम्बर के अध्यक्ष अग्रवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, उपमुख्यमंत्री व वित्त वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी, केन्द्रीय राजस्व सचिव डॉ. हसमुख अधिया, वाणिज्यकर आयुक्त सुजाता चतुर्वेदी को पत्र लिखकर तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(साभार : प्रभात खबर, 17.8.2017)

वस्तु एवं सेवा कर (GST) 40 दिन

जीएसटी की धारा 9 (4) है परेशानी की प्रमुख वजह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल कहते हैं- जीएसटी को लेकर कारोबारी और उद्यमी काफी उत्साहित थे कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद भी कारोबारी और उद्यमी परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी जीएसटी कानून की धारा 9 (4) को लेकर है। यानी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर। इसके तहत स्थानीय स्तर माल के परिवहन यथा पिकअप भाड़ा, ठेला-रिक्शा और खानपान का उल्लेख किया गया है। 5000 रुपए तक खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। इस मद में इससे अधिक खर्च की गई राशि का उल्लेख करने को अनिवार्य किया गया है। जीएसटी काउंसिल को इस सीमा को बढ़ाना चाहिए। जब एक देश, एक कर और एक बाजार की बात जीएसटी में है, तो ई-वे बिल की अनिवार्यता क्यों की गई है? हालांकि अगर यह प्रावधान किया भी गया है तो इसकी सीमा बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए की जानी चाहिए। हमने इस मसले को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सामने भी उठाया है। जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपए से अधिक की वस्तुएं बाहर से मांगने पर रोड परमिट देना पड़ता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.8.2017)

बासोपट्टी में दुकानों पर छापेमारी के बारे में मोदी ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बासोपट्टी (मधुबनी) में प्रखंड प्रशासन द्वारा दुकानों में की गई छापेमारी के बारे में मधुबनी डीएम से रिपोर्ट मांगी है।

उन्होंने कहा-इस छापामारी का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से कुछ लेना- देना नहीं है। अगर प्रशासन, पुलिस या जीएसटी के अधिकारियों द्वारा कारोबारियों पर नियम-कानून के विपरीत किसी तरह की कार्रवाई की गई होगी, तो जाँच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हमने मधुबनी के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। ध्यान रहे कि, बासोपट्टी में जयनगर के एसडीओ के निर्देश पर छापेमारी हुई। इससे कारोबारियों में आक्रोश है।

आयुक्त की छापेमारी की निंदा : जीएसटी के नाम पर वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त दरभंगा प्रमंडल ने सघन छापेमारी की है और कई दुकानों को सील कर दिया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बासोपट्टी जैसे छोटे व्यावसायिक स्थलों पर व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी एवं सील करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। चैम्बर ने जीएसटी लागू होने के पहले और बाद में केन्द्रीय वित्तमंत्री ने खुद और राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने भी यह घोषणा की थी कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पी. के. अग्रवाल ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति, वाणिज्यकर, पुलिस और सामान्य प्रशासन ने अधिकारियों के साथ साजिश के तहत ऐसी हरकत की है। चैम्बर अध्यक्ष अग्रवाल ने केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, उप मुख्यमंत्री व वित्त वाणिज्यकर मंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, भारत सरकार के राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख अधिया, वाणिज्य -कर विभाग की आयुक्त सह प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, केन्द्रीय जीएसटी के मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह से अनुरोध किया है कि वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त प्रशासन, दरभंगा प्रमंडल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

(साभार : दैनिक भास्कर, 18.8.2017)

जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-1 की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार में बाढ़ को देखते हुए जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-1 भरने की अंतिम तिथि को एक माह तक बढ़ाने का अनुरोध किया। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी में जुलाई का मासिक रिटर्न जीएसटी-3बी भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त थी जिसे पाँच दिन बढ़ाकर 25 अगस्त की गई है एवं जुलाई की विवरणी जीएसटीआर-1 की अंतिम तिथि 10 अगस्त थी जिसे बढ़ा 5 सितंबर की गई है। पी. के. अग्रवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केन्द्रीय राजस्व सचिव डॉ. हसमुख अधिया, बिहार वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, केन्द्रीय जीएसटी के मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह से तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 24.8.2017)**

जीएसटी के लिए हेल्पलाइन नम्बर हुआ जारी

जीएसटी से संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है। यह पटना, राँची, जमशेदपुर के लिए जारी हुआ है। पटना के लिए नम्बर 0612-2504461, 9430293586, राँची के लिए 0651-2331541 एवं जमदेशपुर के लिए 0657-6605502 है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.8.2017)

मधुबनी एवं दरभंगा में जीएसटी के नाम पर छापेमारी गैर कानूनी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने जीएसटी के नाम पर वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा प्रमंडल द्वारा मधुबनी के बासोपट्टी जैसे छोटे व्यावसायिक स्थलों पर व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, जब्ती एवं व्यवसायियों के गोदामों को सील किये जाने की घटना की घोर निंदा करते हुए उक्त पदाधिकारी के मनमानीपूर्ण रवैया को प्रदर्शित करनेवाला बताया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी बार-बार मंचों पर यह घोषणा की गयी है कि नयी कर प्रणाली होने के कारण व्यवसायियों को असुविधा होना स्वाभाविक है। अत: इसके प्रावधानों को राज्यस्तर पर ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे जगहों पर अवस्थित व्यावसायिक स्थलों पर जाकर व्यवसायियों को पूर्णरूपेण इसके प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। साथ ही जब तक व्यवसायी इसके प्रावधानों से पूरी तरह अवगत न हो जाये तब तक व्यवसायियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी। इसके बावजूद विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना संबंधित पदाधिकारी के ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

अग्रवाल ने कहा कि बासोपट्टी जैसे छोटे से बाजार में ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि 10 अगस्त को विभिन्न विभागों जैसे खाद्य एवं आपूर्ति, वाणिज्य-कर, पुलिस प्रशासन के साथ-साथ सामान्य प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, जब्ती एवं उनके गोदामों को सील करने की कार्रवाई करने को विवश होना पड़ा उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बासोपट्टी में व्यवसायियों के बीच भय एवं दहशत का वातावरण बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई की गयी है।

अग्रवाल ने इस संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री, सूबे के उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वाणिज्याकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व सचिव को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

(साभार : प्रभात खबर, 18.8.2017)

झाड़ू कर मुक्त व मूर्ति पर जीएसटी कम हो : मोदी

दिनांक 5 अगस्त 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की 20 वीं बैठक में झाड़ू पर लगे 5 प्रतिशत जीएसटी को घटा कर शून्य व मिट्टी से बनी हुई मूर्ति पर 28 प्रतिशत जीएसटी घटाकर 5 फीसदी करने का सुझाव बिहार ने दिया।

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसके साथ ही अगरबत्ती, हवन सामग्री, साड़ी फॉल पर 12 से घटा कर 5 प्रतिशत टैक्स करने, रबड़ बैंड, कम्प्यूटर के 20 इंच तक के मॉनिटर और ट्रैक्टर के कुछ विशेष चिन्हित पार्ट्स, गैस लाइटर पर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत तथा मानव निर्मित धागों से जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी को घटा कर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया।

श्री मोदी ने बताया कि बैठक में खादी के कपड़ा और उससे बने पोशाक को कर मुक्त करने, जीएसटी की धारा 9(4) रिवर्स चार्ज को हटाने व जीएसटी लागू होने के पूर्व दूसरे राज्यों से माल मंगा कर रखने वाले व्यावसायियों को कम्पोजिंग स्कीम से वंचित करने की शर्त को हटाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि कम्पोजिंग स्कीम 75 लाख तक के सालाना टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए लाया गया मगर शर्त के कारण इसके दायरे में काफी कम व्यावसायी आ सके हैं। कपड़ा व्यवसायियों की कठिनाइयों को भी बैठक में उठाया गया, क्योंकि इसके पहले वैट के दौरान वे कर दायरे से बाहर थे।

श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 50 हजार से कम के माल की ढुलाई के लिए किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार में पहले 10 हजार तक की माल ढुलाई पर यह छूट थी। जीएसटी लागू होने के बाद इसे बढ़ा कर 50 हजार किया गया था। आज की बैठक एक लाख तक की माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल की जरूरत को खत्म करने की मांग की गई। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2017)**

सभी वस्तुओं के मूल्यों की बनेगी तुलनात्मक सूची

वाणिज्यकर विभाग राज्य में विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मूल्य की तुलनात्मक सूची बनाएगा। वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें सभी आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आती है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि तुलनात्मक सूची में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के पूर्व एवं बाद के विक्रय मूल्यों को अंकित किया जाएगा।

जनता को किया जाएगा जागरूक : विभागीय सूत्रों ने बताया कि विभाग की ओर से वस्तुओं के विक्रय मूल्य की तुलनात्मक सूची तैयार कर आम जनता को जागरूक किया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को लेकर जो भ्रम है उसका इससे समाधान होगा। सूत्रों ने बताया कि सूची को विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रचारित किया जाएगा।

केन्द्र सरकार भी मूल्यों के अंतर पर तैयार कर रही सूची : विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि केन्द्र सरकार के स्तर पर भी जीएसटी के पूर्व एवं बाद के मूल्यों को लेकर सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिर्फ विलासिता की वस्तुओं पर ही पूर्व एवं वर्तमान मूल्यों में वृद्धि दिखाई पड़ सकती है। अन्यथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयी है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2017)**

राजीव नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष

अर्थशास्त्री राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) नामित किया गया। उनके नाम का ऐलान निवर्तमान उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया द्वारा सार्वजनिक रूप से पद छोड़ने की इच्छा जताए जाने के पाँच दिन बाद की गई है। इसके साथ ही एम्स दिल्ली के बालरोग विशेषज्ञ डॉ. विनोद पॉल को आयोग का सदस्य नामित किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2017)**

उद्यमियों की सुविधा के लिए खुला सुविधा केन्द्र

सहमति व प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया 7 से होगी ऑनलाइन

सूबे के उद्यमी को सहमति व प्राधिकार प्राप्त करने की सुविधा अब ऑनलाईन मिलेगी। यह सुविधा 7 सितम्बर से शुरू हो जायेगी। राज्य के उद्यमियों को विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों व नियमावलियों के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति या प्राधिकार लेना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन सहमति प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली कहा जाता है।

राज्य के उद्यमियों को इस नई प्रणाली के माध्यम से सहमति एवं प्राधिकार प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क जमा करने में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए राज्य पर्षद द्वारा सुविधा केन्द्र की स्थापना की गयी है।

पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र रोड स्थित पर्षद मुख्यालय परिवेश भवन में स्थित / सुविधा केन्द्र का उद्घाटन पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने किया। यह सुविधा केन्द्र प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि के दौरान कार्यरत रहेगा।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर, अमित मुखर्जी एवं सुभाष पटवारी और बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष रामलाल खेतान, राज्य पर्षद के सदस्य सचिव आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। (साभार : आज, 24.8.2017)

माल और सेवा कर

जीएसटी : खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रायः पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू)

प्र. 1. अगर मेरे पास एक राज्य/केन्द्र शासित प्रेदश में कई उत्पादन इकाइयाँ हैं तो क्या मुझे सभी कंपनियों को अलग-अलग पंजीकृत कराना है या एक ग्रुप की तरह?

उत्तर : आप राज्य/केन्द्र शसित प्रदेश में एक पंजीकरण करा सकते हैं। हालाँकि, आपके पास राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश में अपने हर बिज़नेस वर्टिकल [जैसा कि केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम, 2017) की धारा 2 (18) में परिभाषित है] का अलग-अलग पंजीकरण कराने का विकल्प है।

प्र. 2. एक पंजीकृत व्यक्ति गुरूग्राम की अपनी उत्पादन ईकाई से मेमी कुक्ड फुड्स अपनी दिल्ली ब्रांच में भेजता है। क्या उसे किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 25 (4) के प्रावधानों के तहत अलग-अलग राज्यों की ब्रांच को अलग-अलग व्यक्ति माना गया है। अनुसूची । के अनुसार यह सप्लाई दो अलग-अलग व्यक्तियों के बीच व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय बढ़ाने के लिए की गई सप्लाई है। चाहे कोई प्रतिफल ना लिया गया हो। क्योंकि यह एक अंतरराज्यिक सप्लाई है इसलिए पंजीकृत व्यक्ति को आईजीएसटी का भुगतान करना होगा।

प्र. 3. एक पंजीकृत व्यक्ति उत्पादित फूड प्रोडक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है। ऐसे में परिवहन शुल्क सप्लायर को देना होता है और वास्तव में इसका भुगतान प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाता है। ऐसे में क्या परिवहन शुल्क को सप्लाई के मूल्य में जोड़ा जाएगा?

उत्तर : अगर सप्लायर को सप्लाई से संबंधित किसी भी तरह की राशि का भुगतान करना है, तो यह राशि लेनदेन के मूल्य में जुड़ जाएगी, चाहे उसका भुगतान प्राप्तकर्ता ही क्यों न करता हो। इस मामले में परिवहन शुल्क को सप्लाई के मूल्य के साथ जोड़ा जाएगा।

प्र. 4. एक पंजीकृत व्यक्ति कराधेय फूड आइटम का उत्पादक है। उसकी फैक्ट्री किराए के मकान में है। क्या यह व्यक्ति किराए की राशि पर लगने वाले कर का आईटीसी ले सकता है?

उत्तर : हाँ, वह किराए की राशि पर लगने वाले कर का आईटीसी ले सकता है।

प्र. 5. क्या सप्लायर अपने लौटाए हुए माल के अनुसार अपनी कर देयता कम कर सकता है।

उत्तर : हाँ, वह व्यक्ति लौटाए गए माल का अपने प्राप्तकर्ता को क्रेडिट नोट जारी करके अपनी कर देयता को कम कर सकता है। (क्रेडिट नोट में वास्तविक इनवॉयस नम्बर का संदर्भ होना जरूरी है।) लेकिन प्राप्तकर्ता ने उस माल पर जितना आईटीसी लिया है, वह वापस करना होगा।

प्र. 6. गैर-एसी रेस्त्रां में खाने के साथ आईसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक (गैर- अल्कोहॉलिक पेय) परोसे जाने पर कितना कर लगेगा?

उत्तर : इन पर कर की दर 12 प्रतिशत होगी। अगर इन्हे एसी रेस्त्राँ में परोसा जाता है, तो कर की दर 18 प्रतिशत होती। अगर रेस्त्राँ कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले रहा है (ऐसा तभी किया जा सकता है। जब आईसक्रीम उस रेस्त्राँ में नहीं बनाई जाती हो) तो कर की दर संकलित टर्नओवर का 5 प्रतिशत होगी।

प्र. 7. सप्लायर ने होटल उद्योग को 28.6.2017 को मशीनरी बेची है। खरीदार ने मशीनरी और इनवॉयस 5.7.2017 को प्राप्त की है। ऐसे में मशीनरी पर भुगतान किये गये वैट का आईटीसी मिलेगा?

उत्तर : नहीं, क्योंकि मशीनरी कैपिटल गुड्स है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 (5) के अनुसार प्री-जीएसटी से पोस्ट-जीएसटी में ट्रांजिशन के दौरान केवल ट्रांजिशन में मौजूद इनपुट्स/ इनपुट्स सेवाओं के कर का क्रेडिट आगे ले जाने की अनुमति है। बशर्ते इस सप्लाई पर कर उस समय के कानून के अनुसार दिया गया है और प्राप्तकर्ता ने इन्हें नियत तिथि के तीस दिनों के भीतर अपनी अकाउंट बुक में दर्ज किया है।

प्र. 8. क्या आटा / मैदा / बेसन की थोक सप्लाई पर जीएसटी लगेगा?

उत्तर : अनब्रांडेड माल की सप्लाई को जीएसटी से छूट प्राप्त है। हालाँकि, अगर यह आउटवर्ड सप्लाई किसी ब्रांडेड माल की है और इसे किसी यूनिट कंटेनर में रखा जाता है, तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

प्र. 9. मैं ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों ही तरह के चावल का थोक विक्रेता हूँ। मैं इसे स्थानीय स्तर पर खरीदता हूँ (राज्यांतर्गत खरीद)। पिछले वित्तीय वर्ष में मेरा टर्नओवर 5.5 करोड़ रुपये था। मैं वैट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं था। मेरा प्रश्न है:

(i) क्या मुझे अपने आप को अब पंजीकृत कराना होगा?

उत्तर : अगर चावल यूनिट कंटेनर में रखा हुआ है और उसका रजिस्टर्ड ब्रांड नाम है तो इस पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 (जो आपके मामले में लागू होगा) के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है (छूट वाली सप्लाई के मूल्य के साथ) तो वह उस राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, जहाँ से माल या सेवाओं की सप्लाई कर रहा है। इसलिए आपके मामले में चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक होने के कारण आपको अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता है।

(ii) बासमती चावल (ब्रांडेड) के सप्लायर कह रहे हैं कि वे लोग 5 प्रतिशत आईजीएसटी चार्ज करेंगे और मुझे आईटीसी लेने के लिए अपने को पंजीकृत कराना जरूरी है। मैं क्या कर सकता हूँ?

उत्तर : जब चावल यूनिट कंटेनर में रखा हुआ है और उसका रजिस्टर्ड ब्रांड नाम है, तो 5 प्रतिशत की दर से कराधेय है और अगर ब्रांडेड बासमती चावल का सप्लायर दूसरे राज्य में स्थित है। तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाया जाएगा और ऐसे में क्रेडिट तभी लिया जा सकेगा जबकि प्राप्तकर्ता सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत हो। इसलिए अगर आप इनपुट कर क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो आपको अपने आपको अवश्य पंजीकृत कराना चाहिए। अगर आप अपने राज्य में ही खरीददारी करते हैं, तो तंजीकरण करने की जरुरत नहीं है।

(iii) मेरा 90 प्रतिशत टर्नओवर बिना ब्रांड के चावल का है और 10 प्रतिशत टर्नओवर ब्रांडेड चावल का है। क्या मैं एक ही इनवॉयस से दोनों को बेच सकता हूँ?

उत्तर : इनवॉयस नियम के अनुसार, कराधेय माल की सप्लाई करने वाले को इनवॉयस जारी करने की आवश्यकता होती है और जो छूट वाले माल की सप्लाई करते हैं, तो उसे सप्लाई का बिल जारी करने की आवश्यकता होती है। सप्लाई बिल के सभी विवरण कर इनवॉयस में है तो छूट वाले हिस्से के मामले में अलग से सप्लाई के बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रांडेड और अनब्रांडेड चावलों का एक ही इनवॉयस जारी किया जा सकता है।

(iv) गैर-पंजीकृत कराधेय व्यक्ति के तौर पर क्या मुझे अपने इनवॉयस में एचएसएन सप्लाई का स्थान, कराधेय मूल्य आदि का उल्लेख करने की आवश्यकता है? (मैं जानता हूँ कि केवल इनवॉयस के लिए आवश्यक है)।

उत्तर : सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 के तहत पंजीकृत व्यक्ति को

अपने इनवॉयस में एचएसएन कोड्स, कराधेय मूल्य, सप्लाई के स्थान का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। गैर-पंजीकृत व्यक्ति कर इनवॉयस जारी नहीं कर सकता है।

(v) मान लें, मैंने स्वेच्छिक पंजीकरण के लिए आवेदन किया और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर लिया-

(क) क्या मुझे मेरी कर देयता की तारीख से पहले के दिन स्टॉक में रखे ब्रांडेड चावल पर भुगतान किए गए आईजीएसटी पर आईटीसी प्राप्त होगा?

उत्तर : हाँ, जो व्यक्ति स्वेच्छिक पंजीकरण कराता है वो पंजीकरण की स्वीकृति की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती दिन स्टॉक में मौजूद इनपुट के इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होता है। इस संबंध में जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 (1) (ख) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 25 (3) को देखें।

(ख) क्या मुझे जीएसटी के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से पहले खरीदी हुई और मेरे पास कारोबार परिसंपत्ति के तौर पर स्टॉक में रखी हुई पैकिंग सामग्री, ऑफिस स्टेशनरी, कंप्यूटर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर दिए गए सीजीएसटी और एसजीएसटी पर आईटीसी प्राप्त होगा?

उत्तर : स्वेच्छिक पंजीकरण कराने वाला व्यक्ति पंजीकरण स्वीकृति की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती दिन स्टॉक में रखे इनपुट्स और स्टॉक में रखे सेमी-फिनिश्ड या फिनिश्ड माल में निहित इनपुट्स के इनपुट कर का क्रेडिट लेने का पात्र है।

दो महत्वपूर्ण बिन्दु ये हैं कि स्टॉक में रखे माल "इनपुट" माने जाने योग्य जरूर हों और उनकी खरीद के समय चुकाया गया कर जीएसटी के तहत "इनपुट टैक्स" माने जाने योग्य होना चाहिए।

किसी भी माल को जो अकाउंट बुक में पंजीकृत हो गए हैं उन्हें इनपुट नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर कंप्यूटर की कीमत अकाउंट बुक में पंजीकृत कर दी गई है तो उस पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 (1) (ख) के संदर्भ में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर भुगतान किया गया कर क्रेडिट के तौर पर उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि इन मामलों में सेवाओं के संबंध में क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 18 में वर्णित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार पैकिंग सामग्रियों आदि पर दिए गए सीजीएसटी / एसजीएसटी पर क्रेडिट उपलब्ध होगा।

(ग) मुझे कब से कर लगाना शुरू करना होगा? पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि या पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद की तिथि से।

उत्तर : • पंजीकरण की स्वीकृति दिये जाने की तारीख से • केवल इस तारीख से कर इनवॉयस जारी की जा सकती है • इससे पहले न आप कर इनवॉयस जारी कर सकते हैं और न ही इनवॉयस में कोई कर लगा सकते हैं।

(घ) क्या मुझे पंजीकरण के बाद की गई सभी बिक्री जैसे ब्रांड या बिना ब्रांड की, के लिए कर इनवॉयस जारी करने होंगे?

उत्तर : अगर चावल यूनिट कंटेनर में रखा हुआ है और उसका रजिस्टर्ड ब्रांड नाम है, तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा और कराधेय माल की सप्लाई के लिए कर इनवॉयस जारी करना होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 (1) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 देखें। कर से छूट प्राप्त ब्रांड के चावल की बिक्री के लिए सप्लाई का बिल जारी करना होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 (3) (ग) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 49 देखें।

(ङ) क्या कर इनवॉयस में कर की राशि अलग से दिखानी अनिवार्य है?

उत्तर : हाँ, यह सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 33 के तहत अनिवार्य है।

(च) मेरी शहर में तीन दुकानें हैं। क्या मैं इन तीन अलग-अलग स्थानों के लिए उपसर्ग का इस्तेमाल करके कर इनवॉयस जारी कर सकता हूँ?

उत्तर : हाँ। हालाँकि, ये सुनिश्चित करना होगा की इनवॉयस सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (ख) के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(छ) क्या स्थानीय बिक्री के लिए भी कर इनवॉयस में सप्लाई का स्थान बताना जरूरी है?

उत्तर : नहीं, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (ख) के तहत, राज्य के नाम के साथ सप्लाई का स्थान का उल्लेख करना केवल अंतरराज्यिक सप्लाई के मामले में ही जरूरी है।

प्र. 10. कोलकाता में एक रेस्त्रां बार है। यह सफलतापूर्वक जीएसटी के दायरे में चला गया है। इस रेस्त्रां का पहला फ्लोर एयर कंडिशंड है और यहाँ खाना और शराब परोसा जाता है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर केवल खाना परोसा जाता है और यह एयर कंडिशंड नहीं है। यह रेस्त्रा जानना चाहता है-

(i) ग्राउंड फ्लोर से की गई सप्लाई के लिए 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाएंगे या फिर 18 प्रतिशत की दर से?

उत्तर : कर की दर 18 प्रतिशत होगी चाहे सप्लाई पहले फ्लोर पर हो या फिर दूसरे फ्लोर पर। अगर रेस्त्रां में कहीं भी एयर कंडीशनिंग की सुविधा है, तो रेस्त्रां में की गई किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी।

(ii) क्या वे खाना और शराब दोनों के लिए एक ही कर इनवॉयस जारी कर सकते हैं या नहीं?

उत्तर : खाने की सप्लाई के लिए कर इनवॉयस जारी करना है। जबकि शराब के लिए सप्लाई का बिल जारी करना है या स्थानीय वैट या संबंधित राज्य के बिक्री कर के नियम के अनुसार किसी इनवॉयस को जारी करना है।

(iii) वहाँ के टेकअवे काउंटर से खाने की सप्लाई पर किस दर से कर लगाया जाएगा?

उत्तर : टेकअवे काउंटर से खाने की सप्लाई पर कर की दर 18 प्रतिशत होगी।

(iv) क्या रेस्त्रां में उपयोग में लाए जाने वाली क्रॉकरी पर दिए गए सीजीएसटी और एसजीएसटी पर आईटीसी ले सकते हैं?

उत्तर : हाँ, रेस्त्रां में उपयोग की जाने वाली क्रॉकरी पर लगाए गए सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी ले सकते हैं। अगर सामानों की खरीद दूसरे राज्यों से की गई है, तो उस पर लगाए गए आईजीएसटी का क्रेडिट भी ले सकते हैं।

(5) क्या मार्च 2017 में स्थानीय स्तर पर खरीदी गई क्रॉकरी पर भुगतान किए गए 72,500 रुपए के वैट का आईटीसी ले सकते हैं? सामान को व्यावसायिक पूंजी के तौर पर दिखाया गया है।

उत्तर : अगर राज्य वैट कानून ने इस तरह के सामानों पर आईटीसी की अनुमति दी है, तो खरीद की तारीख को ही क्रेडिट उपलब्ध था। एसजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 (1) उन्हें वैट के अकाउंट पर क्रेडिट को आगे बढ़ाने की अनुमति है।

(6) क्या वे कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं (पिछले साल उनका टर्न ओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक था)?

उत्तर : नहीं, वह कंपोजिशन लेवी के पात्र नहीं हैं क्योंकि वह शराब की सप्लाई कर रहे हैं।

(7) क्या वे पहले फ्लोर, दूसरे फ्लोर और टेकअवे काउंटर के लिए अलग-अलग सीरीज (श्रेणी) का कर इनवॉयस जारी कर सकते हैं?

उत्तर : सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (ख) के अनुसार टैक्स इनवॉयस को एक या अनेक श्रेणी में क्रमानुसार संख्याबद्ध किये जाने की आवश्यकता है लेकिन इसके अंक 16 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह वे कर इनवॉयस की विभिन्न श्रेणी जारी कर सकते हैं, लेकिन इन्हे उपयुक्त नियम में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

नोट : जहाँ पर भी सीजीएसटी अधिनियम् 2017 का उल्लेख है, वह एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और यूटीजीएसटी अधिनियम् 2017 के लिए भी लागू है। जहाँ पर भी सीजीएसटी नियम 2017 का उल्लेख है, वह एसजीएसटी नियम, 2017 के लिए भी लागू है। (साभार : हिन्दुस्तान, 13.8.2017)

माल और सेवा कर

जीएसटी : ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित प्रायः पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू)

प्र. 1. क्या फॉर्मूलेशन पर जीएसटी का भुगतान हस्तांतरण मूल्य प्रणाली के अंतर्गत किया जाना चाहिए या उन पर मुद्रित एमआरपी के आधार पर ?

उत्तर : दवाओं और फॉर्मूलेशन पर जीएसटी का भुगतान सप्लाई के प्रत्येक स्तर पर लेनदेन के मूल्य पर आधारित होगा ताकि भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ वितरण श्रृंखला के अंत तक उपलब्ध रहे।

प्र. 2. फिजिशियन सैम्पल जो मुफ्त वितरित किये जाते हैं, की क्लीयरेंस के लिए क्या करना होगा?

उत्तर : चिकित्सक को मुफ्त वितरित किये जाने वाले सैम्पल पर लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) (ज) के प्रावधानों के अनुसार रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। चिकित्सक को मुफ्त वितरण किये जाने वाले सैम्पल पर कोई कर देय नहीं है क्योंकि सप्लाई की कीमत शून्य है, बशर्ते कोई क्रेडिट नहीं लिया गया है।

प्र. 3. खुदरा विक्रेता से निर्माता को वापस की जा रही एक्सपायर्ड दवाओं को नष्ट करने हेतु क्या प्रक्रिया है?

उत्तर : ऐसे मामलों में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समय के अंदर, निर्माता एक्सपायर्ड दवाएँ वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए आईटीसी को रिवर्स करने की शर्त पर, क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। इसके बाद एक्सपायर्ड दवाओं को नष्ट किए जाने पर, निर्माता को नष्ट किए गए माल के लिए अपने द्वारा लिए गए आईटीसी को रिवर्स करना होगा। यदि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 (2) में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद माल को वापस किया जाता है तो माल लौटाने वाला पंजीकृत व्यक्ति एक कर चालान जारी करेगा, क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 की परिभाषा के अनुसार यह माल की सप्लाई है।

प्र. 4. जीएसटी व्यवस्था में लोन और लाइसेंसी यूनिट को कैसे काम करना होगा?

उत्तर : जीएसटी कानून में लोन और लाइसेंसी यूनिट के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जहाँ अनुबंध जॉब-वर्क के लिए है, ये इकाइयाँ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 143 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं अर्थात प्रिंसीपल यूनिट द्वारा ऐसे यूनिट को बिना कर का भुगतान किये इनपुट आदि सप्लाई की जा सकती है तथा प्रिंसीपल यूनिट ऐसी यूनिट के परिसर से ही माल की निकासी भी कर सकते हैं बशर्ते ऐसी यूनिट सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 25 के अतंर्गत पंजीकृत हों अथवा प्रिंसीपल यूनिट इन्हें व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान घोषित कर दे।

प्र. 5. स्पेशल इकोंनामिक जोन को की जाने वाली सप्लाई हेतु क्लीयरेंस के क्या प्रावधान हैं?

उत्तर : आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार एसईजेड को किए जाने वाली क्लीयरेंस जीरो रेटेड सप्लाई हैं। अत: सप्लाईकर्ता ऐसी सप्लाई पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड का दावा कर सकते हैं या अंडरटेकिंग बॉन्ड के तहत उसकी क्लीयरेंस करके अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं।

प्र. 6. क्या किसी एक राज्य में स्थित एसईजेड यूनिट को जीएसटी के तहत एक अलग पंजीकरण आवश्यक है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 के पहले प्रावधान के अनुसार किसी राज्य में स्थित एसईजेड यूनिट को एसईजेड के बाहर राज्य में स्थित अन्य इकाइयों से भिन्न अलग-अलग बिजनेस वर्टीकल माना जायेगा। अत:, एसईजेड में स्थित यूनिट के लिए अलग पंजीकरण आवश्यक है।

प्र. 7. क्या आईएसडी पंजीकरण अलग से प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर : जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 8 के दूसरे प्रावधान के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण के लिए अलग से आवेदन करना होगा।

प्र. 8. जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति, जिन्हें पुराने कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं था, अपने वर्तमान स्टॉक में उपलब्ध माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट कैसे लेंगे?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 (ट्रांजिशनल प्रोविजन) के नियम 117 (4) के अनुसार, ऐसे पेजीकृत व्यक्ति जो पुराने कानून के तहत पंजीकृत नहीं थे और जिसके पास स्टॉक में रखे माल के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें 1 जुलाई 2017 के बाद ऐसे माल की सप्लाई पर लागू केन्द्रीय कर का 60 प्रतिशत क्रेडिट मिलेगा अगर ऐसे माल पर केन्द्रीय कर की दर 9 प्रतिशत या उससे अधिक है और अन्य माल पर केन्द्रीय कर का 40 प्रतिशत क्रडिट मिलेगा और जब ऐसे माल पर केन्द्रीय कर का भुगतान कर दिया जायेगा तब यह क्रेडिट राशि इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में जमा / क्रेडिट कर दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहाँ आईजीएसटी का भुगतान किया जाना हो, आईटीसी की राशि एकीकृत कर की राशि का क्रमश: तीस प्रतिशत और बीस प्रतिशत की दर से होगी। यह सुविधा नियत दिन से 6 महीनों की अधिकतम अवधि (अर्थात् 31 दिसम्बर, 2017) या जब तक माल की बिक्री की जाए, जो भी पहले हो, तक उपलब्ध है।

प्र. 9. क्या कोई निर्माता ऐसे स्टॉक जिसके शुल्क भुगतान दस्तावेज उपलब्ध नहीं है पर नियत तिथि को डीम्ड क्रेडिट का लाभ ले सकता है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्माता ऐसे ट्रांजीशनल स्टॉक, जिसका शुल्क भुगतान दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, के डीम्ड क्रेडिट के लाभ के पात्र नहीं है। एसजीएसटी हेतु यह क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा सिवाय उन मामलों में जहाँ वैट एमआरपी के आधार पर देय था।

प्र. 10. क्या कर मुक्त जोन से खरीदे गए माल पर भी डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 (ट्रांजीशनल प्रोविजन) के नियम 117 (4) के अनुसार डीम्ड क्रेडिट ऐसे माल के लिए उपलब्ध होगा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्देशित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से बिना किसी शर्त छूट प्राप्त नहीं थे या उक्त अनुसूची में शून्य दर पर शामिल नहीं थे। क्योंकि कर मुक्त जोनों से खरीदा गया माल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अधीन शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त था परन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में शुल्क दर पर नहीं शमिल था, अत: ऐसे मामले में नियुक्त तिथि को स्टॉक में मौजूद माल के संबंध में डीम्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा।

प्र. 11. अपंजीकृत व्यक्ति से खरीदरी के मामले में पंजीकृत व्यक्ति का क्या दायित्व है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 (3) के अनुसार अपंजीकृत व्यक्ति से करयोग्य सप्लाई की प्राप्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को इनवाइस बनाना है और ऐसे सप्लाई के संबंध में रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी भुगतान करना है।

प्र. 12. पूर्ववर्ती कर मुक्त जोन से की गई सप्लाई के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तर : चूँकि जीएसटी आईटीसी क्रेडिट के निर्बाध हस्तांतरण के साथ एक स्थान आधारित उपभोग कर है इसलिए पूर्ववर्ती कर मुक्त जोनो से की गई सप्लाई के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। तद्नुसार पूववर्ती कर मुक्त जोनों से प्राप्त माल नियुक्त तिथि (1 जुलाई, 2017) से जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य होगा।

प्र. 13. प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई करयोग्य सप्लाई के संबंध में भुगतान ना करने का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर : यदि प्राप्तकर्ता सप्लायर द्वारा इनवाइस जारी करने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर सप्लायर को सप्लाई का मूल्य एवं उस पर देय कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो भुगतान न की गई राशि के अनुपात में लिए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को उस पर ब्याज के साथ प्राप्तकर्ता की आउटपुट कर देयता में जोड़ दिया जाएगा। ऐसा प्राप्तकर्ता कर सहित देय राशि के भुगतान के उपरांत रिवर्स किये गये आईटीसी की राशि पुन: क्लेम कर सकता है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1के अनुसार बिना प्रतिफल के की गई डीम्ड सप्लाई के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं है।

प्र. 14. क्या जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई हेतु पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बिलों के लिए अलग-अलग क्रम संख्या रखी जा सकती है?

उत्तर : सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (ख) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जीएसटी के तहत की गई सप्लाई के लिए एक वित्तीय वर्ष के लिए इनवाइस की एक से अधिक क्रम संख्या रखी जा सकती है जब तक कि ऐसे इनवाइस का नम्बर विशिष्ट हो।

प्र. 15. एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक ही पंजीकरण में आने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल की सप्लाई के लिए कौन सा दस्तावेज जारी करना आवश्यक है?

उत्तर : सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 55 (1) (ग) के अनुसार ऐसी आवाजाही को डिलीवरी चालान के साथ किसी अन्य दस्तावेज जो ई-वे बिल के स्थान पर निर्धारित किया गया हो, के अंतर्गत किया जाना है।

प्र. 16. क्या जीएसटी के लिए मूल्य निर्धारण हेतु मूल्य में दिये गये डिस्काउंट भी शामिल होंगे?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 (3) के अनुसार, जीएसटी लगाने/ निर्धारण हेतु सप्लाई के मूल्य में ऐसा डिस्काउंट शामिल नहीं होगा, जो सप्लाई के समय या उससे पहले दिया जाना तय हो, यदि इस डिस्काउंट को सप्लाई के समय में जारी किए गये इनवाइस में विधिवत् दर्शाया गया है। सप्लाई के मूल्य में कोई भी ऐसा डिस्काउंट शामिल नहीं होगा जो सप्लाई के बाद दिया गया है, यदि यह डिस्काउन्ट सप्लाई के समय या उससे पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसार उस सप्लाई के इनवाइस से संबंद्धित है तथा ऐसे डिस्काउंट पर लागू आईटीसी को सप्लाई के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स कर दिया गया है।

प्र. 17. नियत तिथि को या उसके बाद कॉंट्रेक्ट मैन्यूफेक्चरर के परिसरों में रखे हुए माल की आवाजाही के लिए प्रावधान क्या है?

उत्तर : कॉंट्रेक्ट मेन्यूफेक्चरर / लोन लाइसेंसी के परिसरों में रखे हुए माल की आवाजाही की प्रक्रिया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 141 (1), (2) एवं (3) के प्रावधानों के अंतर्गत होगी।

नोट : जहाँ पर भी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का उल्लेख है। वह एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 पर भी लागू है। जहाँ पर भी सीजीएसटी नियम 2017 का उल्लेख है, वह एसजीएसटी नियम, 2017 पर भी लागू है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2017)

माल और सेवा कर

जीएसटी : रत्न एवं आभूषण से संबंधित प्राय: पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू)

प्र. 1. क्या वितरक को दी गई प्रचार एवं संचार सामग्री (बैनर / होर्डिंग्स / पोस्टर्स) को व्यवसाय के दौरान कंपनी के द्वारा की गई सप्लाई समझा जाएगा और इसलिए आईटीसी के रिवर्सल की आवश्यकता नहीं होगी?

उत्तर : (क) जहाँ सामग्री बिना किसी भुगतान के दी जाती है; यह सप्लाई नहीं मानी जाएगी और इसलिए इस तरह के लेनदेन पर कर देय नहीं है और ऐसे मामले में कंपनी के द्वारा लिए गए क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (5) के अनुसार लौटाए जाने की आवश्यकता होगी।

(ख) यहाँ सामग्री प्रतिफल / भुगतान लेकर दी जाती है; यह सामान्य सप्लाई मानी जाएगी।

प्र. 2. वर्तमान में बैंक किसी कीमती धातु के आयात पर किसी तरह के वैट का भुगतान नहीं करते हैं। बैंक / नामित एजेंसी आयात पर केवल सीमा शुल्क देते है, तो क्या नई जीएसटी व्यवस्था के अनुसार बैंक को **आयात के दौरान आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा?**

उत्तर : हाँ, किसी भी तरह की कीमती धातुओं के आयात पर सीमा शुल्क के साथ-साथ 3 प्रतिशत आईजीएसटी देना होगा। भुगतान किए गए आईजीएसटी का बैंक के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है।

प्र. 3. बैंक कंसाइनमेंट बेसिस पर सोना / चाँदी का आयात करते हैं, जिसमें धातु का स्वामित्व बुलियन के सप्लायर के पास होता है। जो विदेशी संस्था भी हो सकती है। क्या विदेशी संस्थाओं को भी जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में वे रिटर्न फाइल नहीं करते और बहुराष्ट्रीय संधियों से संचालित होते हैं?

उत्तर : आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में 'आयात' शब्द की परिभाषा के अनुसार भारत के बाहर से भारत में कोई भी माल लाना 'माल का आयात' है। इस परिभाषा के अनुसार भारत में माल को लाया जाना ही आयात है, स्वामित्व चाहे किसी का भी हो। बैंक, जो पंजीकृत संस्था है, को इस तरह के आयात पर आईजीएसटी देना है ना कि विदेशी संस्था को क्योंकि वह आयात नहीं कर रही हैं।

प्र. 4. कंसाइनमेंट बेसिस पर बैंकों / नामित एजेंसियों के द्वारा आयात किया गया जो सोना और चांदी 1 जुलाई को स्टॉक में मौजूद है, ऐसे सोना-चाँदी के स्टॉक के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि वैट से जीएसटी में ट्रांजीशन के चरण में ग्राहकों से कर कैसे लिया जायेगा। क्या ग्राहकों से जीएसटी दर पर कर लिया जायेगा?

उत्तर : 1.7.2017 से 3 प्रतिशत की दर से इस पर जीएसटी का भुगतान करना है।

प्र. 5. बैंक सोना भौतिक स्वरूप में उधार देते हैं, जो 6 महीने से अधिक समय के लिए नहीं होता है। बैंकों को इस वितरित किये गये गोल्ड आउंस पर ब्याज मिलता है और उसे USD / INR रूपांतरण और ब्याज की गणना उपरांत रूपये में बदल दिया जाता है। क्या जीएसटी के मामले में भी इसी तरह की प्रणाली अपनाई जाएगी जहाँ बैंक प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रोविजनल जीएसटी (जैसे आईजीएसटी / एसजीएसटी / सीजीएसटी) का भुगतान करेगा और जब कीमत तय हो जाए तो अंतिम रूप से जीएसटी का भुगतान करेगा?

उत्तर : हाँ, बैंक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 60 के अंतर्गत प्रोविजनल एसेसमेंट का लाभ ले सकता है।

प्र. 6. बैंक वर्तमान में सोने की डिलीवरी के समय प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर प्रोविजनल वैट का भुगतान करते हैं। जब ग्राहक धातु की कीमत तय कर देते हैं, तो बैंक गोल्ड लोन के पूर्ण होने की तिथि पर वास्तविक वैट का भुगतान करते है। बैंक को भविष्य में तय की जाने वाली कीमतों के आधार पर सरकार को भुगतान किये गये अतिरिक्त प्रोविजनल जीएसटी के सेट-ऑफ की अनुमति मिलनी चाहिए। अतिरिक्त भुगतान के मामले में, उन्हे पैन- इंडिया के आधार पर रिफंड मिलना चाहिए न कि राज्यों के आधार पर।

उत्तर : बैंक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के प्रावधानों के आधार पर रिफंड का दावा कर सकता है। इन मामलों में ब्याज का भुगतान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 56 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे मामले में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 60 (5) को भी देखें।

प्र. 7. जब हम लोग अंतिम ग्राहकों को सोना, हीरा या चाँदी के गहनों जैसे 30,000 रूपए की कीमत पर 10 ग्राम के सोने की चैन (सोने की कीमत 28,000 रुपए है और सोने की उस चैन का मेकिंग चार्ज 2000 रुपए) की बिक्री कर रहे हैं, तो हम कुल कीमत पर 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाएँ या सोने की कीमत पर 3 प्रतिशत की दर से और फिर मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाएँ?

उत्तर : आभूषण के कुल लेनदेन मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा, चाहे मेकिंग चार्ज अलग से दिखाया गया हो या नहीं।

प्र. 8. जब हम लोग अपने जॉब वर्कर को कच्ची सामग्री के रूप में

सोना देते हैं और वह हमें इससे अंतिम उत्पाद बनाकर लौटाता है, तो इस पर किस तरह जीएसटी लगेगा और इसके मूल्य का आंकलन कैसे करेंगे।

उत्तर : अगर जॉब वर्कर पंजीकृत है तो जॉब वर्क के शुल्क के ऊपर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना है। आभूषण बनाने वाले इस जॉब वर्क पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं और इसका उपयोग निर्मित आभूषणों की सप्लाई पर जीएसटी देने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, अगर जॉब वर्कर को जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त है, तो आभूषण निर्माता को जॉब वर्कर से इनपुट सप्लाई (उनके द्वारा दिए गए कीमती धातु से आभूषण बनाना) पर रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी देना होगा। वह इस कर का इनपुट क्रेडिट ले सकता है।

नोट : जहाँ पर भी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का उल्लेख है, वह एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लिए भी लागू होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 21.8.2017)

माल और सेवा कर

जीएसटी : ई-कॉमर्स से संबंधित प्राय: पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू)

प्र. 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है?

उत्तर : इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में सीजीएसटी अधिनियम, 2017) की धारा 2 (44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित माल अथवा सेवा अथवा दोनों की सप्लाई से है।

प्र. 2. ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है?

उत्तर : इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता हो।

प्र. 3. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है?

उत्तर : हाँ। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धार 24(x) के अनुसार ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए सीमा छूट का लाभ उपलब्ध नहीं है और वे उनके द्वारा की गई सप्लाई का मूल्य चाहे जो भी हो, पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी हैं।

प्र. 4. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल या सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति सीमा छूट का हकदार होगा ?

उत्तर : नहीं । सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 24(ix) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए सीमा छूट उपलब्ध नहीं है और वे उनके द्वारा की गई सप्लाई का मूल्य चाहे जो भी हो पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी दोंगे। हालांकि, यह आवश्यकता केवल तब ही लागू होती है जब सप्लाई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए की जाती है, जिसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना है। लेकिन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (5) के तहत जारी अधिसूचना के अंतर्गत, जहाँ ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स सप्लायरों की तरफ से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी सेवाओं के सप्लायर सीमा छूट के हकदार हैं।

प्र. 5. क्या वास्तविक सप्लायर के बजाय, ई-कॉमर्स ऑपरेटर उसके माध्यम से किए गए माल या सेवाओं की सप्लाई के संबंध में, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदारयी होगा?

उत्तर : हाँ, लेकिन केवल सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं के मामले में। ऐसे मामलों में सेवाओं की सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा की जाती है तो टैक्स का भुगतान उसी के द्वारा किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी सप्लाई के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सप्लायर है। अंतरराज्यिक सप्लाई के लिए भी इसी तरह का प्रावधान आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 (5) में उल्लेखित है। (अधिसूचना सं. 17/2017- केन्द्रीय कर (दर) और 14 / 2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.6.2017 देखें)।

प्र. 6. क्या अधिसूचित सेवाओं पर कर का भुगतान करने के उत्तरदायी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों को सीमा छूट प्राप्त होगी?

उत्तर : नहीं। उन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए सीमा छूट उपलब्ध नहीं है जिन्हें उनके माध्यम से सप्लाई की गई अधिसूचित सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

प्र. 7. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) क्या है?

उत्तर : ई-कॉमर्स ऑपरेटर को उसके-माध्यम से की गई कर योग्य सप्लाई के कुल मूल्य (नेट वेल्यू) पर एक प्रतिशत (0.5% सीजीएसटी +0.5% एसजीएसटी) की दर से कर एकत्र करना आवश्यक है, जहाँ ऐसी सप्लाई का प्रतिफल इस ऑपरेटर द्वारा एकत्र किया जाना है। ऐसी एकत्र की गई राशि को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) कहा जाता है। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 (1) देखें।)

प्र. 8. यह बहुत आम है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के ग्राहकों द्वारा माल वापस कर दिया जाता है। इस वापसी को कैसे समायोजित किया जा सकता है?

उत्तर : एक ई- कॉमर्स कंपनी को केवल कर योग्य सप्लाई के कुल मूल्य पर कर एकत्रित करना है। अर्थात, जो सप्लाई वापस लौटा दी जाती है, उसे कर योग्य सप्लाई के कुल मूल्य में समायोजित किया जाना है। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52(1) का स्पस्टीकरण देखें)।

प्र. 9. 'कर योग्य सप्लाई का कुल मूल्य' से क्या तात्पर्य है?

उत्तर : 'कर योग्य सप्लाई का कुल मूल्य' अर्थात किसी भी महीने के दौरान इस तरह के ऑपरेटर के माध्यम से सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की कर योग्य सप्लाई (ऐसी सेवाओं के अलावा जिन पर पूरे कर का भुगतान ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ही करना है) का संकलित मूल्य जिसमें से उक्त महीने के दौरान सप्लायरों को वापस की गयी कर योग्य सप्लाई का संकलित मूल्य कम कर दिया गया हो। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52(1) में स्पष्टीकरण देखें)।

प्र. 10. क्या प्रयेक ई- कॉमर्स ऑपरेटर को वास्तविक सप्लायर की ओर से कर एकत्र करना आवश्यक है?

उत्तर : हाँ, ऐसे प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ऐसे ऑपरेटर के अलावा जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(5) के तहत कर का भुगतान करता है) को कर एकत्र करना आवश्यक है, जहाँ का योग्य सप्लाई से संबंधित प्रतिफल ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एकत्र किया जाता है। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 कर धारा 52(1) देखें)।

प्र. 11. ई- कॉमर्स ऑपरेटर को इस तरह का कर किस समय एकत्र करना चाहिए?

उत्तर : ई- कॉमर्स ऑपरेटर को इस तरह का कर उस महीने के दौरान एकत्र करना चाहिए जिसमें प्राप्तकर्ता से प्रतिफल राशि एकत्र की जाती है।

प्र. 12. ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ऐसा टीसीएस किस समय सीमा के भीतर सरकार को भुगतान करना होगा?

उत्तर : ऑपरेटर द्वारा एकत्र की गई राशि को उस महीने की समाप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर सरकार को भुगतान करना है, जिसमें राशि एकत्र की गई थी। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52(3) देखें)।

प्र. 13. वास्तविक सप्लायर इस टीसीएस के क्रेडिट का दावा कैसे कर सकते हैं?

उत्तर : ऑपरेटर द्वारा सरकार को भुगतान की गई टीसीएस की राशि ऑपरेटर द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर वास्तविक पंजीकृत सप्लायर जिनकी ओर से इस तरह का कर इकत्रित किया गया है, के जीएसटीआर-2 में दिखाई देगी। इसका इस्तेमाल वास्तविक सप्लायर द्वारा की गई सप्लाई के संबंध में कर देयता के निर्वहन के समय किया जा सकता है। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 (7) देखें)।

प्र. 14. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कोई विवरण जमा करना आवश्यक है? विवरणी में प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण क्या है?

उत्तर : हाँ, प्रत्येक ऑपरेटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक विवरण जिसमें उसके

माध्यम से की गई माल या सेवाओं की आउटवर्ड सप्लाई, उसके माध्यम से लौटाए गए माल या सेवाओं की सप्लाई और माह के दौरान टीसीएस के रूप में एकत्र की गई राशि का विवरण होगा, उस महीने की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर जमा करना होगा। यह विवरण फॉर्म जीएसटीआर-8 में जमा किया जाएगा। ऑपरेटर को कर संग्रह वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसम्बर तक एक वार्षिक विवरण भी दाखिल करना होगा। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 (4) और धारा 52 (5) देखें)।

प्र. 15. ई-कॉमर्स प्रावधानों में मिलान की अवधारणा क्या है और यह कैसे काम करेगा?

उत्तर : प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा महीने की अपनी विवरणी में दी गई सप्लाई का विवरण संबंधित सप्लायर द्वारा उसी महीने या किसी भी पूर्ववर्ती माह के उसके वैध रिटर्न में प्रस्तुत की गई आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित विवरण के साथ मिलान किया जाएगा। जहाँ ऑपरेटर द्वारा उसके रिटर्न में घोषित आउटवर्ड सप्लाई का ब्योरा सप्लायर द्वारा घोषित संबंधित विवरण से मेल नहीं खाता है, तो यह विसंगति दोनों व्यक्तियों को सूचित की जाएगी (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 (8) और धारा 52 (9) देखें)।

प्र. 16. यदि विवरण का मिलान न हो पाए तो क्या होगा?

उत्तर : जिस राशि के संबंध में कोई भी विसंगति सूचित की जाती है और जो सप्लायर द्वारा उसके वैध रिटर्न में या ऑपरेटर द्वारा उस महीने की विवरणी में सुधारी नहीं जाती है, तो उस महीने के बाद वाले माह में जिसमें विसंगति को सूचित किया गया था, सप्लायर की आउटपुट देयता में जोड़ा जाएगा। संबंधित सप्लायर जिनकी आउटवर्ड कर देयता में कोई भी राशि जोड़ी गई है, इस तरह की सप्लाई के संबंध में देय कर का, उस राशि पर ब्याज के साथ, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ब्याज की गणना इस तरह की राशि जोड़े जाने की तिथि से उसके भुगतान की तिथि तक के लिए की जाएगी। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52(10) और धारा 52 (11) देखें)।

प्र. 17. क्या जीएसटी कानून के तहत कर अधिकारियों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से सप्लाई / स्टॉक विवरण की जानकारी मांगने का कोई अधिकार दिया गया है?

उत्तर : हाँ, कोई भी अधिकारी, जो डिप्टी कमिश्नर की रैंक के नीचे न हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नोटिस जारी कर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस देने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर ऐसे विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 (12), (13) और (14) देखें)।

प्र. 18. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से माल की सप्लाई करने वाले विक्रेताओं के व्यापार के स्थान समान हो सकते हैं, खासकर यदि उनके माल को ईसीओ द्वारा संचालित एक साझा स्थान में स्टोर किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कई सप्लायरों द्वारा व्यापार के अतिरिक्त स्थान के रूप में एक ही स्थान पंजीकृत किया जाएगा। क्या इसकी अनुमति है?

उत्तर : हाँ, इसकी अनुमति है। कोई भी पंजीकृत व्यक्ति एक परिसर को व्यवसाय के स्थान के रूप में घोषित कर सकता है यदि उसके पास परिसर के उपयोग के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं (जैसे स्वामित्व दस्तावेज, स्वामी के साथ समझौते आदि) और एकाधिक व्यक्तियों द्वारा परिसर के उपयोग के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 35 के अनुसार और सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 56 से 58 के अनुसार रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

प्र. 19. क्या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रैवल एजेंट को ईसीओ माना जावेगा? क्या उन्हें जीएसटी अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता होगी?

उत्तर : डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करने वाले ट्रैवल एजेंट, ईसीओ की श्रेणी में आएंगे जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के तहत टीसीएस के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र. 20. ऐसे लेनदेन जिनमें दो या अधिक ईसीओ शामिल हैं, में टीसीएस कौन काटेगा?

उत्तर : ऐसे मामलों में, प्रत्येक लेनदेन को अलग माना जाएगा और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार जांचा जाएगा। तदनुसार टीसीएस काटा जाएगा।

प्र. 21. कई मामलों में ईसीओ विक्रेता को इनवाइस सुविधा प्रदान नहीं करता है। ऐसे मामलों में, इनवाइस विक्रेता द्वारा ही बनाया जाता है और ईसीओ की जानकारी के बिना खरीदार द्वारा प्राप्त किया जाता है। भुगतान ईसीओ के माध्यम से होता है। ऐसे मामलों में, टीसीएस को किस मूल्य पर एकत्र करना है? क्या लेनदेन के पूरे मूल्य पर टीसीएस एकत्र किया जा सकता है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के धारा 52 (1) के अनुसार टीसीएस को इस तरह की सप्लाई के कुल कर योग्य मूल्य पर एकत्र किया जाना है, जिसके संबंध में ईसीओ प्रतिफल एकत्र करता है। एकत्र राशि जीएसटीआर-8 में विधिवत रिपोर्ट की जानी चाहिए और सरकार को जमा की जानी चाहिए। ऐसी कोई भी एकत्रित राशि संबंधित सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगी।

प्र. 22. जीएसटी में एक डीलर को सतत् क्रम संख्या में इनवाइस बनाना जरूरी है। अगर हम कई स्थानों से सप्लाई कर रहे है, तो क्या हमें केन्द्रीय रूप से क्रमानुसार इनवाइस संख्याओं को बनाए रखने की आवश्यकता है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 के अनुसार इनवॉइस की एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में सतत् क्रम संख्या जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं हो सकती बशर्ते अक्षरों या अंकों या विशेष वर्ण वाले हाइफन या डैश और स्लेश को क्रमशः "-" या "/" और इसके किसी भी संयोजन, जो एक वित्तीय वर्ष में दोहराया न जाए। इसलिए एक सप्लायर एक ही वर्ष के लिए कई श्रृंखला रखा सकता है, लेकिन एक ही श्रृंखला का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः नही किया जा सकता है। इसलिए आपके पास प्रत्येक स्थान के लिए एक अलग इनवाइस की श्रृंखला हो सकती है, जिनमें उस श्रृंखला की सतत क्रम संख्या होगी।

प्र. 23. ऐसे विक्रेता भी हैं जो ईसीओ के माध्यम से छूट प्राप्त या शून्य कर वाले माल जैसे कि किताबें बेच रहे हैं। क्या मार्केट-प्लेस को इस तरह की सप्लाई पर टीसीएस एकत्र करना होगा ?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 (1) के अनुसार ईसीओ के माध्यम से किए गए 'कर योग्य सप्लाई के कुल मूल्य' पर टीसीएस एकत्र करना है। अगर सप्लाई कर योग्य नहीं है, तो टीसीएस का सवाल ही नहीं उठता है।

प्र. 24. मैं अपने द्वारा होस्ट की गई एक वेबसाइट के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहा हूँ। क्या मैं 'इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर' की परिभाषा के तहत आता हूँ? क्या मुझे ऐसी सप्लाई पर टीसीएस एकत्र करना आवश्यक है?

उत्तर : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (44) और 2 (45) में दी गयी परिभाषा के अनुसार, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा के तहत आएंगे हालांकि, इसी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, टीसीएस को अन्य सप्लायरों द्वारा किए गए कर योग्य सप्लाई के कुल मूल्य पर एकत्र करने की आवश्यकता है जहाँ प्रतिफल ईसीओ द्वारा लिया जाना है। ऐसे मामलों में जहाँ कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहा है, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार उसे टीसीएस एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लेनदेन मौजूदा दरों पर जीएसटी के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र. 25. हम अलग-अलग विक्रेताओं से सामान खरीदते हैं और हम अपनी वेबसाइट पर उन्हें अपनी बिलिंग के साथ बेचते हैं। क्या ऐसी सप्लाई पर टीसीएस एकत्रित करना आवश्यक है?

उत्तर : नहीं। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के अनुसार, टीसीएस को अन्य सप्लायरों द्वारा की द्वारा की गई कर योग्य सप्लाई के कुल मूल्य पर एकत्र करने की आवश्यकता है जहाँ प्रतिफल ईसीओ द्वारा लिया जा

रहा है। इस मामले में, दो लेनदेन हैं - जहाँ आप विक्रेताओं से सामान खरीदते हैं, और जहाँ आप इसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। पहले लेनदेन के लिए, जीएसटी लागू होगा, जो आप अपने विकेता को भुगतान करेंगे, और जिस पर आपको क्रेडिट मिलेगा। दूसरा लेनदेन आपके स्वयं के द्वारा एक सप्लाई है, अन्य सप्लायरों द्वारा नहीं, अत: स्रोत पर कर एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लेन-देन पर मौजूदा दरों पर जीएसटी लगेगा।

नोट : जहाँ पर भी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का उल्लेख है वह एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लिए भी लागू है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.8.2017)

पटना-भागलपुर में रेडीमेड कपड़ों के उद्योग लगेंगे

पटना और भगलपुर में रेडीमेड कपड़ों का (टेक्सटाइल) उद्योग लगाने के लिए बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। इसको लेकर राज्य सरकार के साथ बैठक भी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगपतियों को हर सहयोग देने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। सीएम ने मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में उद्योग और गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की।

बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में श्रम अन्य राज्यों की अपेक्षा सस्ता है। यही कारण है कि रेडीमेड कपड़ों का उद्योग यहाँ लगाने के लिए उद्योगपति आगे आये हैं। उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक नीति 2016 के तहत अब तक 493 उद्यमियों के प्रस्ताव उद्योग लगाने के लिए आए हैं। इनमें 422 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है, जिनके द्वारा 3900 करोड़ के निवेश होंगे। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि 2011 की औद्योगिक नीति के तहत 2016 तक बिहार में 263 यूनिटें लगीं। इनके द्वारा 6336 करोड़ के निवेश हुए।

स्टार्ट-अप योजना में 30 आवेदन स्वीकृत : स्टार्ट-अप योजना के तहत 308 युवा उद्यमियों के आवेदन आये हैं। इनमें 30 के आवेदनों को स्वीकृत कर लिया गया है। इन युवाओं को दस लाख तक के लोन ब्याज रहित दिये जाएंगे। इस योजना के तहत 500 करोड़ का फंड स्वीकृत पहले ही कर दिया गया है।

मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क इसी साल : मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 10 एकड़ पर काम इसी साल चालू हो जाएगा। इसमें 100 उद्यमियों को जगह मिलेगी। कौशल विकास में 19 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें 11 हजार टेक्सटाइल क्षेत्र के होंगे। मुख्यमंत्री ने खादी उद्योग पर विशेष ध्यान देने को कहा है, ताकि इसके उत्पादन में वृद्धि हो। इस उद्योग से जीविका की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इनके बीच दस हजार चरखा वितरित किया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2017)

कजरा-पीरपैंती में लगेंगे सोलर प्लांट

सूबे में लखीसराय जिले के कजरा वे भागलपुर के पीरपैंती में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। दोनों स्थानों पर 200-200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। पहले इन दोनों स्थानों पर 660-660 मेगावाट की दो-दो थर्मल इकाइयाँ लगनी थीं। विभागवार समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए।

स्पॉट बिलिंग पर जोर : उपभोक्ता व बिजली खपत बढ़ने के बावजूद बिल वसूली का प्रतिशत कम है। इसका एक अहम कारण समय पर बिजली बिल नहीं मिलना है। इसे देखते हुए ऑन स्पॉट बिलिंग पर जोर दिया जाएगा।

कांटी यूनिट केन्द्र के हवाले : मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर को एनटीपीसी को देने की सैद्धांतिक सहमति हुई। कोयले की कमी सहित अन्य तकनीकी कारणों से कांटी थर्मल को चलाने में परेशानी हो रही है। कांटी में मरम्मत के बाद 110 मेगावाट की दो इकाई और 195 मेगावाट की दो नई इकाई में से एक में बिजली उत्पादित हो रही है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.8.2017)**

बिहार देश का सबसे युवा उद्यम वाला राज्य

देश में सबसे ज्यादा युवा उद्यम वाला राज्य बिहार है। यह तथ्य नीति आयोग की ओर से 'बेहतरीन कारोबारी माहौल' पर जारी रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें कहा गया है कि सूबे में अनुपातिक तौर पर निर्माण गतिविधि वाली दस साल से कम उम्र वाली 80% इकाइयाँ हैं। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे पर पंजाब और चौथे पर सिक्किम है।

नीति आयोग द्वारा 2016 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 29 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 3276 निर्माण उद्यमों में 799 युवा इकाईयाँ हैं। अनुपात के आधार पर सर्वाधिक युवा इकाइयाँ बिहार में हैं। वहीं दस साल की उम्र से कम के 73 फीसदी उद्यमों के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि संख्या के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आगे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक कुल 32% युवा उद्यम छोटे हैं और 43% उनसे बड़े वर्ग के हैं। इनमे से 75% उद्यम 50 से कम कर्मचारियों वाले हैं जबकि निर्माण गतिविधि वाले 67 % पुरानी इकाइयाँ छोटी हैं। आयोग के सर्वेक्षण के दौरान 3500 से ज्यादा निर्माण क्षेत्र के उद्यमों और 2014 से स्थापित 141 स्टार्टअप का साक्षात्कार किया गया। रिपोर्ट में उद्यम स्थापित करने का औसत समय 118 दिन बताया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 29.8.2017)**

जस्टिस दीपक मिश्रा नए चीफ जस्टिस

जस्टिस दीपक मिश्रा ने भारत के 45 वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में जस्टिस मिश्रा को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस जेएस खेहर के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस मिश्रा (64) ने यह पद संभाला है। वह 2 अक्टूबर 2018 तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे। **(सा. : हिन्दुस्तान, 29.8.2017)**

बिहार का ग्रोथ रेट फिर से दो अंकों में पहुँचा

10.32 फीसद पर पहुँची विकास दर

बिहार का ग्रोथ रेट (विकास दर) फिर से दो अंकों में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास की दर 10.32 फीसद रिकॉर्ड की गई है, जबकि उससे पहले के साल में यह आंकड़ा 7.2 प्रतिशत का था। एक बार फिर तेज विकास दर के पीछे कृषि प्रक्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में भी 13.15 फीसद की वृद्धि हुई है।

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, कृषि प्रक्षेत्र ने भी 2016-17 में 6.57 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है जो कि एक साल पहले से अधिक है। कृषि प्रक्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण ही राज्य का ग्रोथ रेट फिर से दो अंकों में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से लेकर 2014-15 के दरम्यान राज्य की विकास दर औसतन 10.5 प्रतिशत रही है।

विकास दर	
2015-16	7.2 प्रतिशत
2016-17	10.32 प्रतिशत
कृषि प्रक्षेत्र की विकास दर	
2015-16	4.33 प्रतिशत
2016-17	6.57 प्रतिशत
12वीं पंचवर्षीय	
योजना में मिले	2.28 लाख करोड़
खर्च हुए	2.21 लाख करोड़

कृषि प्रक्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छे मानसून के अलावा नई तकनीक के उपयोग को भी कारण माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, छोटे किसानों ने नई तकनीक का अधिक फायदा उठाया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में एसजीडीपी में कृषि का योगदान करीब 23 प्रतिशत आंका गया है। तेज विकास दर में पंचवर्षीय योजना के तहत मिली राशि का 97 प्रतिशत उयगेग कर लिए जाने का भी योगदान है।

> "अच्छे मानसून के अलाया नए बीज के उपयोग ने कृषि उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही लघु सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ होने और प्रमुख फसल धान पर नई तकनीक के साथ ध्यान केन्द्रित करने के अच्छे नतीजे सामने आए हैं।"
>
> डॉ. के. एम. सिंह, निदेशक (प्रसार शिक्षा) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

(साभार : दैनिक जागरण, 8.8.2017)

उद्योगों के लिए आम लोगों से जमीन खरीदेगा बियाडा

राज्य में उद्योग के लिए जमीन की कमी है। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार (बियाडा) के पास भी भूमि बैंक नहीं है। बियाडा को जमीन राज्य सरकार ही उपलब्ध करवाती है, लेकिन अब बियाडा को लैंड बैंड बनाने के लिए

आम लोगों से जमीन खरीदने की छूट दी जा सकती है। इसके लिए बियाडा के नियम-कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। इससे संबंधित विधेयक मानसून सत्र में पेश होने की संभावना है। इस विधेयक में औद्योगिक क्षेत्र में फ्लोर एरिया रेशियो में बदलाव और विवादित भूखंडों के निष्पादन के लिए भी नीति बनाई जा रही है।

क्यों पड़ी जरूरत : बियाडा के पास औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को देने के लिए जमीन नहीं है। राज्य में निवेश के इच्छुक निवेशक जमीन नहीं मिलने के कारण वापस चले जाते हैं। अगर सरकार आमलोगों से जमीन खरीदती है तो सर्किल रेट का तीन गुना कीमत देना पड़ेगा। अगर जमीन खरीदने की छूट बियाडा को दे दी जाए तो बियाडा अपने स्तर पर लोगों से मोलतोल कर जमीन कम कीमत पर खरीद सकती है। या बड़ी कंपनियों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए लाइजनिंग कर सकती है।

फ्लोर एरिया रेशियो में बदलाव का प्रस्ताव : औद्योगिक इकाई लगाने के लिए अधिक से अधिक जमीन उपलब्ध करवाने को सरकार नए नियम कानून बनाने और पुराने में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। बियाडा के नियम के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के लिए अभी फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 1.5 है। यानी आधी जमीन में ही फैक्ट्रियों के लिए निर्माण कार्य किया सकता है। इसे और बढ़ाकर 3 करने की योजना है। इस निर्णय से भूखंड का तीन गुना विस्तार हो सकेगा।

विवादित भूखंडों के निष्पादन के लिए भी बनेगी नीति : विवादित भूखंडों के मामले को निपटाने के लिए नई नीति बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बड़े वकील की सेवा लेने की योजना है। उल्लेखनीय है कि 54 सौ एकड़ में से 25 सौ एकड़ जमीन मुकदमे में फंसा हुआ है। एक ऐसी एक्जिट पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत औद्योगिक भूखंड के मामले में फैसला किसी पर थोपा नहीं जाएगा। सभी निर्णय प्रजातांत्रिक तरीके से लिए जाएंगे, ताकि बियाडा के पास भूखंड वापस आएं और उद्योग फिर से लगे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.8.2017)

साल के अंत तक सभी गाँवों व 2018 में हर घर को मिलेगी क्वालिटी बिजली

नेशनल वर्कशॉप / ग्रामीण विद्युतीकरण के बिहार मॉडल की वक्ताओं ने की जमकर तारीफ

केन्द्रीय ऊर्जा सचिव ए० के० भल्ला ने कहा कि हर व्यक्ति तक क्वालिटी बिजली पहुँचाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है। साल के अंत तक देश के सभी गाँवों में, जबकि अगले साल के अंत तक हर घर तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य लेकर काम हो रहा है। निश्चित रूप से सभी राज्य इस योजना को समय पर पूरा करेंगे। इसके लिए किसी स्तर पर पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इस समय देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति संतोषजनक है। इसपर गंभीरता से काम हो रहा है। वह पटना में यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन शेड्यूल पर नेशनल वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने किया था।

16 राज्यों के वरीय अधिकारी व प्रतिनिधि हुए शामिल : वर्कशॉप में ग्रामीण विद्युतीकरण में बिहार मॉडल की जमकर प्रशंसा हुई। केन्द्रीय अधिकारियों ने इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। वर्कशॉप में 16 राज्यों के वरीय अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल थे। इसके पहले ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन के सीएमडी पी० वी० रमेश ने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में बिहार के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और उसका परिणाम सामने है। व्यवस्थित रूप से व्यापक कार्ययोजना बनाकर काम करने से लक्ष्य आसान हो जाता है।

राज्यों को गंभीरता से करना होगा काम : केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) ए० के० वर्मा ने कहा कि राज्यों को पावर सेक्टर में गंभीरता से काम करना होगा, ताकि हर हाल में 2018 के अंत तक देश के हर घर में बिजली उपलब्ध हो सके। एटी एंड टी लॉस को कम करना होगा, ताकि आर्थिक क्षति को कम किया जा सके। वर्कशॉप में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, असम, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, तेलंगाना ने अपनी-अपनी कार्ययोजना पेश की। वर्कशॉप का संचालन आर. लक्ष्मणन ने किया।

2005 में मिलती थी 700 मेगावाट बिजली, आज मिल रही 4000 मेगावाट : ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि महज 12 साल पहले हम राजधानी की बिजली की जरूरत को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थे। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो बिहार में 700 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी। इसमें से भी 100 मेगावट नेपाल को और इतनी ही बिजली डिफेंस समेत अनिवार्य सेवाओं को चली जाती थी। 500 मेगावाट में पूरा बिहार चलाना पड़ता था। आज बिहार में 4 हजार मेगावार से अधिक बिजली है। यदि हम बिजली से सिंचाई को पूरी तरह संबद्ध कर दें तो बिहार देश का 40% अनाज पैदा कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार पावर सेक्टर में लक्ष्य को समय पर पूरा करेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.8.2017)

बंद चीनी मिलों में खुलेंगे औद्योगिक पार्क

बिहार सरकार राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने की योजना बना रही है। इन चीनी मिलों में राज्य सरकार खासतौर पर फूड पार्क खोल सकती है। इसके अलावा कुछ मिलों में राज्य सरकार वस्त्र और चमड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयों को भी जगह दे सकती है।

राज्य सरकार की 7 मिलें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। सरकार पिछले 10 वर्षों से इन मिलों को निजी कंपनियों को सौंपने की कोशिश कर रही है लेकिन इस दिशा में सफलता नहीं मिली। ऐसे में राज्य सरकार ने 2012 में इन मिलों की नीलामी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। हालाँकि अर्थव्यवस्था में तेजी और राज्य में निवेशकों की बढ़ती रुचि के मद्देनजर राज्य सरकार ने फिर से इन मिलों पर ध्यान दिया है। राज्य सरकार की योजना इन मिलों में औद्योगिक पार्क खोलने की है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, 'हम बंद पड़ी चीनी मिलों के बारे में नई योजना बना रहे हैं। हालाँकि योजना अभी शुरुआती स्तर पर है।'

अधिकारियों के मुताबिक इसके तहत नए उद्योगों को जगह मिल पाएगी। उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस वक्त बिहार सरकार के स्वामित्व वाली गरौल, वारसलीगंज, सीवान, हथुआ, बनमनखी और गुरारु चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। इन मिलों के पास औसतन 20-30 एकड़ जमीन है, जो चीनी मिल के लिहाज से कम है। हालाँकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए इतनी जमीन उपयुक्त है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10.8.2017)

बिजली समस्याओं की ऑनलाइन करें शिकायत

सीजीआरएफ में कर सकते हैं शिकायत, मेल आईडी जारी किए गए

अगर बिजली कंपनी आपकी शिकायतों का निपटारा समय सीमा में नहीं करेगी तो आप सीजीआरएफ में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई में शिकायत सही पाये जाने पर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय जुर्माना की राशि उपभोक्ता को मिलेगी। पटना, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, बक्सर, नालंदा जिले के बिजली उपभोक्ता cgrfpatna@gmail.com, मुजफ्फरपुर व आसपास के जिलों के उपभोक्ता cgrfmuz@gmail.com, पूर्णिया सहित आसपास के जिलों के उपभोक्ता cgrfpurnia@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं। भागलपुर के आसपास के जिलों के उपभोक्ता भागलपुर स्थित सीजीआरएफ कार्यालय और गया के आसपास के जिलों के उपभोक्ता गया जिला स्थित सीजीआरएफ कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.8.2017)

It's not easy to do business in India : Niti-IDFC survey

It's not easy to do business in India: Niti - IDFC Survery

The big push by the central and state governments to ease the regulatory environment notwithstanding, the perception of most business enterprises is that precious little has changed, a new survey said.

The national survey of the organised manufacturing sector was conducted jointly by the Niti Aayog and IDFC Institute Enterprise Survey, a Mumbai - based think tank to monitor the business environment in the country. It surveyed 3,276 enterprises, including 141 early stage firms across 23 categories.

Not only do the survey results serve as a wake - up call to the government and that the legacy of red tape is far more difficult to undo than what was thought so far it also shows the experience of easing the regulatory environment not been uniform across the country.

The results released showed a majority of respondents on most of the parameters such as setting up a business, land and construction, environment, labour, water and sanitation, taxes, access to finance claiming that things have remained the same compared to a year ago while on legal matters, they reported things to have worsened than a year ago. Only getting electricity connection has be come easier when compared to the previous year, according to a majority of the respondents. The survey was conducted during 2016.

To be sure though little over a third of the respondents did say that there was an improvement in the ease of doing business and a bout a fifth said procedures had deteriorated.

While 38% of the enterprises said that the regulatory environment for setting up a business had improved, the same proportion claimed nothing had changed and 21% said it had worsened. A large proportion (44%) of the enterprises said that the regulatory framework for getting environment clearances had stayed the same while only 17% said it had worsened. Around, 36% of the enterprises said the legal processes for resolving disputes had worsened while only 25% said it has improved. About 46% of enterprises said that access to finance has stayed the same while 36% said it had improved.

The World Bank in its last year's Doing Business survey report had a possible explanation. "The experience of implementing reforms based on doing business data has demonstrated to the government the significance of establishing clear stakeholder feedback mechanisms to close the gaps between policy formulation and implementation."

India's ranking in the World Bank's annual Doing Business survey improved by just one notch to 130 in its 2017 report from a revised rank of 131 last year. India is targeting a 40 notch jump in the ranking in the upcoming survey which is expected to be released in October. According to an output-outcome frame work document prepared by the government, India wants to reach the 90th rank in 2017-18 and 30th by 2020, Mint reported on 21 March.

The Survey also found that a substantial chunk of the enterprises surveyed were not aware of many of the improvements undertaken both by the union and state governments.

On average, only about 20% of manufacturing startups recently set up, were using single window facilities introduced by state governments for setting up a business.

(Source : Hindustan Times 29.8.2017)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

जीएसटी के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी

सभी व्यवसायी कृपया ध्यान दें!

1. ट्रांजिशन के क्रम में आई. टी. सी. के प्रावधान:-

विवरणी आधारित इनपुट कर

1) यदि व्यवसायी ने वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की विवरणी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैरी फॉरवार्ड दर्शाया है तो वह राशि, जी. एस. टी. के अधीन कर भुगतान के लिये उपलब्ध होगी।

2) कैपिटल गुडस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष बची हुई राशि जीएसटी के अधीन कर भुगतान के लिए उपलब्ध होगी।

3) उपरोक्त दोनों प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिये व्यवसायी को । जुलाई 2017 से 90 दिनों के अन्दर जी. एस. टी. ट्रान - । में ऐसे क्रेडिट की घोषणा करना अनिवार्य होगा।

4) ध्यान रहे कि ऐसा क्रेडिट सिर्फ उन्हीं व्यवसायियों को उपलब्ध होगा, जिनके द्वारा माह जनवरी, 2017 से माह जून, 2017 तक की सभी विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं।

यदि किसी व्यवसायी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री, निर्यात बिक्री, अन्तर्प्रान्तीय भण्डार अन्तरण या विशेष आर्थिक क्षेत्र को रियायती दर पर बिक्री की गई है और ऐसे दावे के समर्थन में विहित समय सीमा के अन्दर वैधानिक प्रपत्र यथा केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' / प्रपत्र 'एफ' आदि दाखिल नहीं किए गए हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की उतनी राशि मान्य नहीं होगी जितने कर की राशि के फारम व्यवसायी द्वारा दाखिल नहीं किए गए है।

यदि बाद के किसी अवधि में व्यवसायी द्वारा उपर वर्णित दावों के समर्थन में वैधानिक प्रपत्र दाखिल कर दिए जाते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य राशि पुराने कानून के तहत व्यवसायी को रिफन्ड के रूप में प्रदान की जाएगी।

भंडार आधारित इनपुट कर

1) केवल मालों की खरीद / बिक्री करने वाले व्यवसायियों को उनके भंडार में दिनांक- 30.6.2017 को रखे गये माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मद में क्रेडिट उपलब्ध होगा और ऐसी क्रेडिट का उपयोग केवल केन्द्रीय कर के भुगतान के लिए निम्न शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा:-

ऐसा माल 12 महीने से अधिक पुराना न हो,
ऐसे माल के सम्बन्ध में उनके पास ऐसा बीजक है, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चार्ज किया गया है,
ऐसे व्यवसायी कम्पाउडिंग योजना के अधीन नहीं हैं,
ऐसे मालों पर जीएसटी के अधीन क्रेडिट उपलब्ध हैं,
ऐसे माल के सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्यौरा फारम जीएसटी ट्रान-1 में दाखिल किया गया है।

2) यदि व्यवसायी के पास ऐसा बीजक नहीं है, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चार्ज किया गया है, तो भी उन्हें क्रेडिट निम्न शर्तों के अनुसार दी जायेगी:-

ऐसा माल 12 महीने से अधिक पुराना न हो,
ऐसे माल के सम्बन्ध में उनके पास क्रय बीजक है,
ऐसे व्यवसायी कम्पाउडिंग योजना के अधीन नहीं हैं,
ऐसे मालों पर जीएसटी के अधीन क्रेडिट उपलब्ध हैं,
ऐसे माल के सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्यौरा फारम जीएसटी ट्रान-1 में दाखिल किया गया है।

उपरोक्त व्यवसायियों को क्रेडिट तब मिलेगी, जब वे इस माल की बिक्री करेंगे। अगर माल पर केन्द्रीय कर 9 प्रतिशत या अधिक हो तो उन्हें देय केन्द्रीय कर में 60 प्रतिशत क्रेडिट उपलब्ध होगी। अगर केन्द्रीय कर 9 प्रतिशत से कम हो तो केन्द्रीय कर में 40 प्रतिशत की क्रेडिट मिलेगी।

3) ऐसे मालों पर व्यवसायियों को मालों के भंडार की बिक्री पूर्ण होने तक क्रेडिट प्राप्ता होगी, परन्तु दिनांक- 1.7.2017 से 6 माह के बाद इस मद में क्रेडिट प्राप्त नहीं होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.8.2017) **आयुक्त-सह-प्रधान सचिव**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

GSTR - 3B कैसे दाखिल करें के संबंध में जानकारी

1. www.gst.gov.in पर लॉग-इन करने के बाद, रिटर्न डैशबोर्ड Select करें।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 और माह जुलाई Select करें, सर्च Click करें और GSTR-3B select करें।

3. अपने दायित्वों (Llabilitles) और आईटीसी (ITC) के दावों को क्रमशः कॉलम 3.1 और 4 में घोषित (Declare) करें।

जी. एस. टी.-3B में संक्रमणकालीन (Transitional) आई. टी. सी. का दावा नहीं किया जा सकता है। यह केवल TRANS 1 एवं TRANS 2 के द्वारा किया जा सकता है।

4. कॉलम 6.1 के अंतर्गत अगर ब्याज देय है तो उसका विवरण दर्ज करें। विलम्ब शुल्क की गणना System द्वारा की जायेगी।

5. Save GSTR-3B को Click करें। डाटा को SAVE करने के बाद उसे Submit किया जा सकता है। Submit करने के बाद इसमें-कोई संशोधन करना संभव नहीं है। इसलिए Submit बटन क्लिक करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी विवरण ठीक से भरे गए हैं।

6. GST-3B बटन पर क्लिक करने पर सिस्टम विलम्ब शुल्क सहित स्वनिर्धारित (Self-assessed) दायित्व (Liabilities) को दायित्व पंजी (Liabilities Register) में डेबिट (Debit) करेगा तथा ITC के दावा को आईटीसी पंजी (ITC Leger) में क्रेडिट (Credit) करेगा।

7. इसके बाद कर भुगतान (Payment of TAX) का बटन क्रियाशील (Enable) हो जायेगा। कृपया इसे क्लिक करें और अपने कर भुगतान का विवरण और ऑफसेट (Offset) दायित्व को घोषित (Declare) करें।

8. इंटीग्रेटेड-टैक्स, सेन्ट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और Cess के अंतर्गत उपलब्ध Balance Amount को देखने के लिए चेक बैलेंस बटन पर क्लिक करें। (इसमें ट्रांजिसनल क्रेडिट भी शामिल होगा अगर TRANS-1 और TRANS-2 Submit किया गया हो) यह आपको संबंधित लघु शीर्ष Minor head में भुगतान करने से पहले Balance amount की जाँच करने में सहायक होगा। जब माउस को Data Entry Field पर रखा जाता है तो Balance amount प्रदर्शित Display होगा।

9. कृपया उस Section को भरें जो यह बताता है कि नकद एवं आईटीसी के कुल योग का उपयोग करके आप अपने दायित्वों (Liabilities) को सेट-ऑफ (Set-off) करना चाहते हैं।

a. System इसकी जाँच करता है कि आपके पास पर्याप्त नगद / आई. टी. सी. की राशि है।

b. System यह भी check करता है कि रिवर्स चार्ज का दायित्व (Liabilities) सिर्फ नकद के द्वारा Set-off है।

c. सिस्टम यह भी जाँचता है कि सभी देनदारियां (Liabilities) set-off है। GSTR - 3B आंशिक भुगतान (Part payment) की अनुमति नहीं देता है। इसलिए देनदारियों (Liabitilies) के set-off के लिए Cash एवं ITC लेजर में पर्याप्त बैलेंस है कि नहीं, यह सुनिश्चित करें।

d. ITC उपयोग के मामलें में (system)प्राथमिकता के आधार पर नियमों की जाँच करता है, IGST Credit का उपयोग सर्वप्रथम IGST की देयता के भुगतान के लिए और शेष SGST के भुगतान के लिए एवं इसके बाद SGST के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए। SGST Credit का सर्वप्रथम उपयोग CGST की देयता (Liabilities) के लिए एवं इसके बाद शेष IGST की देयता (Liabilities) के लिए किया जाना है। SGST Credit का उपयोग सर्वप्रथम SGST देयता (Liabilities) के भुगतान के लिए एवं इसके बाद शेष IGST की देयता के लिए किया जाना है। SGST Credit का इस्तेमाल CGST की देयता के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही CGST Credit का इस्तेमाल SGST की देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

e. ट्रांजिसनल ITC यदि ITC बही में उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल GSTR-3B के देनदारियों Liabilities के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

1. देनदारियों के भुगतान के लिए Offset Liability बटन पर क्लिक करें।
2. घोषणा विवरण (Declaration statement) पर क्लिक करें।
3. फार्म दाखिल करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का चयन (selction) करें।
4. DSC (Digital Signature certificate) या EVC (Electronic verification code) के जाँच फाइल GSTR-3B बटन पर क्लिक करें।
5. सफल फाइलिंग के लिए संदेश दिखाई देगा और पावती (Acknowledgment) generate हो जायेगा।

(साभार - प्रभात खबर, 17.8.2017) आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

महत्वपूर्ण सूचना

बैंकों द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं करने की शिकायतें लगातार व्यापारियों द्वारा चैम्बर को मिलने पर चैम्बर अध्यक्ष द्वारा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वरीय अधिकारियों का इस समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया गया था। जिसके प्रति उत्तर में आरबीआई एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त पत्र सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :-

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

नि: वि: संस: सं: 160/01.1.99 /2017-18 16 अगस्त, 2017

अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
खेमचंद चौधरी मार्ग, पटना - 800001

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा सिक्के न स्वीकार करना

आप कृपया दिनांक 22 जुलाई, 2017 का अपने पत्र संख्या 513 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि हमने सभी बैंकों के नियंत्रक अधिकारियों को यह दिशा निर्देश प्रदान किया है कि वे आम जनता एवं व्यापारियों से सिक्के लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(शिलादित्या विश्वास)
उप महाप्रबंधक
निर्गम विभाग, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना-800001, बिहार, भारत
दूरभाष: 2320814, 2322641 फैक्स: 2322642 ई-मेल: issuepatna@rbi.org.in

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
(कोड / code No. : 013725)

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
हरखेन कुमार जैन चेरीटेबल
ट्रस्ट बिल्डींग, हरीजी का हाता,
आरा जिला-भोजपुर (802301)

Tel. No.: 06182-221013, 221050, 221038
e-mail: agmr5. zopat @sbi.co.in / FAX No. : 06182-221036

पत्रांक / L. No. RBO/ARA /BP/968 दिनांक : 25 अगस्त, 2017

To,
अध्यक्ष,
श्री पी के अग्रवाल
बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स इंडस्ट्रीज
खेमचंद चौधरी मार्ग, पटना - 800001

महाशय,

शिकायतकर्ता : श्री पी के अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स इंडस्ट्रीज
शिकायत : बिहार के बैंकों द्वारा सिक्का नहीं लिये जाने के संबंध में

उपरोक्त संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, आरा द्वारा सभी शाखाओं को पहले ही सिक्का लिए जाने का संबंध में निर्देश दिया जा चुका है ताकि किसी भी दुकानदार एवं व्यावसायियों को सिक्का जमा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

2. साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे किसी भी शाखा में सिक्का जमा करने में कोई परेशानी नहीं होगी तथा भविष्य में भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।

भवदीय
क्षेत्रीय प्रबंधक

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary